कार्यालय
जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी,
..

पत्रांक संख्या **दिनांक**

विज्ञप्ति

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जनपद के आयुष हेल्थ एवं वैलनेस केन्द्र .... में दैनिक योगाभ्यास कराये जाने हेतु योग अनुदेशक(महिला एवं पुरूष) से निम्न सेवा शर्तों एवं प्राविधानों के अंतर्गत चयन समिति के माध्यम से चयनोपरांत कार्य लिया जाना प्रस्तावित है–

1	कार्य लिये जाने का प्रकार	दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर
2	आयु–सीमा	न्यूनतम 21 वर्ष
3	शैक्षिक योग्यता	न्यूनतम इण्टरमीडिएट
4	व्यवसायिक योग्यता	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0ए0 योग / बी0एस0सी0 योग / बी0पी0एड0 (जिसमें न्यूनतम 06 माह योग को एक विषय के रूप में अध्ययन किया गया हो)/एम0ए0 योग/ योग में एक वर्षीय डिप्लोमा अथवा इण्टरमीडिएट के पश्चात योग सर्टिफिकेशन बोर्ड (वाई0सी0बी0) से योग वैलनेस इन्स्ट्रक्टर सर्टिफिकेट कोर्स
5	कार्य–अवधि (पुरुष)	प्रत्येक माह 01 घण्टे के 32 योग सत्र संचालित कराना।
6	कार्य–अवधि (महिला)	प्रत्येक माह 01 घण्टे के 20 योग सत्र संचालित कराना।
7	पारिश्रमिक	पुरूषों हेतु रू0–250.00 प्रति योग सत्र (प्रति दिवस 01 घण्टे का योग सत्र) /अधिकतम रू0–8000/ प्रतिमाह । महिलाओं हेतु–250.00 प्रति योग सत्र (प्रति दिवस 01 घण्टे का योग सत्र) /अधिकतम रू0–5000/ प्रतिमाह ।

- चयन वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा।
- चयनित योग अनुदेशकों की नियुक्ति पूण अस्थाई होगी।
- योग अनुदेशकों के कार्यो के दैनिक मूल्यांकन के आधार पर दैनिक पारिश्रमिक का निर्धारण रू0 250/–प्रति योग सत्र (प्रतिदिवस एक घण्टे का योगसत्र) के आधार पर किया जायेगा, जिसका भुगतान मासिक रूप से किया जायेगा, जोकि अधिकतम रूपये 8000/–(पुरूष अनुदेशक हेतु) अधिकतम रूपये 5000/–(महिला अनुदेशक हेतु) रहेगा।
- योग अनुदेशक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी की योग्यता का मूल्यांकन अभ्यर्थी के निवास स्थान, शैक्षिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता, अनुभव, शारीरिक दक्षता, योग कौशल, व्यवहार कुशलता व आई0टी0 के सामान्य ज्ञान के आधार पर किया जायेगा।
- चयनित योग अनुदेशक से केवल एक एच.डब्लू.सी में ही कार्य लिया जा सकेगा।
- कार्य करने हेतु सर्वप्रथम स्थानीय अभ्यर्थी (जिस ग्राम में आयुष एच0 डब्ल्यू0 सी0 स्थापित हो) को प्राथमिकता दी जायेगी।
- योग अनुदेशक के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी विभाग की बेवसाइट www.uttarakhandayurved.in, जनपद की nic वेबसाइट, निकटतम आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्र एवं जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, कार्यालय .... से प्राप्त कर सकते हैं।
- योग अनुदेशक के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थी मूल अभिलेखों सहित (समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान पत्र) दिनांक ....को जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, कार्यालय ....में संपर्क करेंगे।

जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी

वॉक इन इन्टरव्यू हेतु चयन/मूल्यांकन प्रक्रिया

1. चयन प्रक्रिया जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा संपन्न करायी जाएगी व विज्ञप्ति जनपद स्तरीय समस्त आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड, विभागीय वेबसाईट व जनपद की एन0आई0सी0 वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी।
2. योग अनुदेशकों का चयन वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा।
3. चयनित योग अनुदेशकों की नियुक्ति पूण अस्थाई होगी।
4. योग अनुदेशकों के कार्यो के दैनिक मूल्यांकन के आधार पर दैनिक पारिश्रमिक का निर्धारण रू0 250/–प्रति योग सत्र (प्रतिदिवस एक घण्टे का योगसत्र) के आधार पर किया जायेगा, जिसका भुगतान मासिक रूप से किया जायेगा, जोकि अधिकतम रूपये 8000/–(पुरूष अनुदेशक हेतु) अधिकतम रूपये 5000/–(महिला अनुदेशक हेतु) रहेगा।
5. योग अनुदेशक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी की योग्यता का मूल्यांकन अभ्यर्थी के निवास स्थान, शैक्षिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता, अनुभव, शारीरिक दक्षता, योग कौशल, व्यवहार कुशलता व आई0टी0 के सामान्य ज्ञान के आधार पर किया जायेगा।
6. चयनित योग अनुदेशक से एक केवल एच.डब्लू.सी में ही कार्य लिया जा सकेगा।
7. कार्य करने हेतु सर्वप्रथम स्थानीय अभ्यर्थी (जिस स्थान में आयुष एच0 डब्ल्यू0 सी0 स्थापित हो) को प्राथमिकता दी जायेगी।
8. स्थानीय अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर निकटतम निवासित अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।
9. अभ्यर्थी के आवेदित आयुष एच0डब्ल्यू0सी0 से 05 कि0मी0 की दूरी तक में पूर्व से ही निवासित होने की स्थिति में अभ्यर्थी को अन्य बिन्दुओं पर मूल्यांकन के अतिरिक्त 10 अंक अधिक प्रदान किये जायेंगे एवं अभ्यर्थी के आवेदित आयुष एच0डब्ल्यू0सी0 से 05 कि0मी0 से अधिक व 25 कि0मी0 तक की परिधि में पूर्व से ही निवासित होने की स्थिति में अभ्यर्थी को अन्य बिन्दुओं पर मूल्यांकन के अतिरिक्त केवल 06 अधिक अंक प्रदान किये जायेंगे।
10. अभ्यर्थी के निवास स्थान की पुष्टि आधार कार्ड, वोटर आई0डी0, स्थायी अथवा मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर की जायेगी।
11. शैक्षिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता की पुष्टि मूल अभिलेखों के माध्यम से की जायेगी।
12. व्यवसायिक योग्यता के अन्तर्गत योग में सर्टिफिकेट धारक को 01 अंक, डिप्लोमा धारक को 02 अंक, स्नातक उपाधि धारक को 03 अंक, केवल योग

में स्नातकोत्तर उपाधि धारक को 03 अंक व योग में स्नातक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि धारक को 04 अंक प्रदान किये जायेंगे।

13. केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों व पंजीकृत चिकित्सालयों के द्वारा जारी किये गये अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

14. अनुभवी अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर 01 अंक व कुल अनुभव हेतु अधिकतम 05 अंक प्रदान किये जायेंगे।

15. योग सम्बन्धी व्यवसायिक योग्यता प्राप्त किये जाने के उपरांत का ही अनुभव मान्य होगा।

16. योग कौशल के मूल्यांकन हेतु अभ्यर्थी से 06 आसन/ प्राणायाम कराये जायेंगे व प्रत्येक आसन/ प्राणायाम हेतु 1/2 अंक प्रदान किया जायेगा

17. आई0टी0 सम्बन्धी ज्ञान का मूल्यांकन टंकण, इन्टरनेट, एम0एस0 ऑफिस सम्बन्धी सामान्य ज्ञान के आधार पर किया जायेगा व प्रत्येक हेतु 01 अंक प्रदान किया जायेगा। (केवल पुरुष अनुदेशक के पद हेतु)

18. मूल्यांकन पश्चात समान अंक प्राप्त होने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।

19. चयनित योग अनुदेशक से कार्य लिए जाने से पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।

20. किसी अनुदेशक के कार्य छोड़ने / कार्य से हटाये जाने की अवस्था में जनपदीय समिति द्वारा पूर्व में कराये गए इंटरव्यू के आधार पर अथवा पुनः वाक–इन इंटरव्यू के माध्यम से अन्य अनुदेशक का चयन कर कार्य लिया जा सकेगा।

<u>शपथ–पत्र</u>

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी .... निवासी .... जनपद .... शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि मैं केन्द्र पोषित योजना आयुष्मान भारत के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्र .... में योग अनुदेशक के रूप में दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक हूँ व कार्य करने हेतु निर्धारित की गयी शर्तो के अधीन रह कर ही कार्य करूंगा/करूंगी जो कि निम्नवत् है–

1. योग अनुदेशक के रूप में मेरे कार्यों के दैनिक मूल्यांकन के आधार पर दैनिक पाारिश्रमिक का निर्धारण 250 रू/– प्रति योग सत्र (प्रतिदिवस एक घण्टे का योगसत्र) के आधार पर किया जायेगा, जिसका भुगतान मासिक रूप से किया जायेगा, जोकि अधिकतम रूपये 8000/– (पुरूष अनुदेशक हेतु) अधिकतम रूपये 5000/–(महिला अनुदेशक हेतु) रहेगा।
2. योग अनुदेशक के रूप मे मेरे कार्यो की समीक्षा प्रत्येक माह जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, ... उत्तराखण्ड द्वारा की जायेगी व कार्यो से सन्तुष्ट न होने पर मुझे मेरे कार्य से किसी भी समय हटाया जा सकता है व मेरे स्थान पर अन्य योग अनुदेशक से कार्य लिया जा सकता है।
3. योग अनुदेशक के रूप में, मैं किसी भी प्रकार की वेतन वृद्धि, पारिश्रमिक वृद्धि, कार्य विस्तार की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
4. मैं भली– भांति अवगत हूं कि योग अनुदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी भी प्रकार के स्थाईकरण, नियत वेतन, विनियमितीकरण अथवा रिक्त पद के सापेक्ष किसी भी प्रकार की नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं होऊँगा व न ही मेरे द्वारा इस हेतु किसी भी प्रकार की माँग अथवा म दावा प्रस्तुत किया जायेगा।
5. मैं योग अनुदेशक के रूप में सी0एच0ओ0 द्वारा निर्देशित समस्त कार्यो को यथा समय सम्पादित करूंगा/करूंगी।
6. मुझे आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों हेतु जारी दिशा निर्देशानुसार मेरे कार्यो हेतु भली–भांति निर्देशित कर दिया गया है, जिन्हें मैं पूर्ण निष्ठा के साथ सम्पादित करूंगा/ करूंगी।
7. चूंकि योग अनुदेशक के रूप में मेरी सेवायें दैनिक आधार पर ली जा रही है। अतः मैं किसी भी प्रकार की अवकाश आदि की मांग नही करूंगा/करूंगी व मेरे द्वारा कराये गये दैनिक योग सत्रों के आधार पर पारिश्रमिक प्रदान किया जायेगा।
8. मैं योग अनुदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी भी प्रकार की यूनियन, हड़ताल, धरना प्रदर्शन आदि में प्रतिभाग नहीं करूंगा/करूंगी।
9. मैं भली– भांति अवगत हूं कि योग अनुदेशक के रूप में मेरी सेवायें केवल दैनिक आधार पर ली जा रही है व मेरी सेवायें जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, ... उत्तराखण्ड द्वारा बिना किसी भी नोटिस के किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।

दिनांक–
स्थान–

शपथकर्ता

योग अनुदेशक के कार्य

पुरुष योग अनुदेशक	महिला योग अनुदेशक
1. प्रत्येक माह सी0एच0ओ0 द्वारा निर्धारित 01 घण्टे के 32 योग सत्र संचालित कराना। (20 घण्टे एच0डब्लू0सी0 में व 12 घण्टे ग्रामों में) 2. प्रत्येक माह में 2 घण्टे ग्रामों में जाकर प्रचार–प्रसार सम्बन्धी कार्यक्रम करना। 3. रिपोर्टिंग आदि कार्यों में सी0एच0ओ0 को सहयोग प्रदान करना। 4. आशा/ए0एन0एम0 का योग सम्बन्धी क्षमता निर्माण। 5. ग्रामों में लगाये जाने वाले जागरुकता शिविरों में सी0एच0ओ0 व आशा/ए0एन0एम0को सहायता प्रदान करना। 6. वर्ष में ग्राम स्तर पर 02 योग जागरुकता शिविर संचालित करना।	1. प्रत्येक माह सी0एच0ओ0 द्वारा निर्धारित 01 घण्टे के 20 योग सत्र संचालित कराना। 2. जनसामान्य में योग सम्बन्धी जागरुकता प्रदान किये जाने हेतु पुरुष योग अनुदेशक को सहायता प्रदान करना ।